बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी अत्यावश्यक सूचना

दिनांक **31** अक्टूबर, 2013 ई0।

सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 01.11.2013 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार प्रारूप निर्वाचक सूची का कार्य प्रगति पर है। स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप निर्वाचक सूची सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशित है एवं इसकी पी.डी.एफ. प्रति (फोटो रहित) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट ***http://ceobihar.nic.in*** पर भी प्रकाशित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन हेतु दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि विस्तारित की गई है। **दावा एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि 01 अक्टूबर, 2013 (मंगलवार) से 15 नवम्बर, 2013 (शुक्रवार) तक हो गयी है।** निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम निम्नवत् है :–

क्रमांक	गतिविधि	तिथि
1	2	3
1	**दावा एवं आपत्तियाँ प्राप्ति की अवधि**	**01.10.2013 (मंगलवार) से 15.11.2013 (शुक्रवार)**
2	दावा एवं आपत्तियाँ का निष्पादन	26.12.2013 (वृहस्पतिवार)
3	पूरक सूची की तैयारी एवं निर्वाचक सूची का मुद्रण	07.01.2014 (मंगलवार)
4	निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन	10.01.2014 (शुक्रवार)

उपर्युक्त क्रमांक 1 पर अंकित अवधि (01 अक्टूबर, 2013 से 15 नवम्बर, 2013 तक) में अर्हता प्राप्त व्यक्ति निर्वाचक के रूप में अपना नाम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रपत्र 18 एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित कराने हेतु प्रपत्र 19, निर्वाचक सूची में प्रविष्ट किसी नाम को विलोपित कराने हेतु प्रपत्र 7 में तथा अपने नाम अथवा अन्य प्रविष्टियों की त्रुटि का निराकरण कराने या किसी संशोधन के लिये प्रपत्र 8 में अपने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं अभिहीत पदाधिकारी के समक्ष दावा या आपत्ति दायर कर सकते हैं। 15 नवम्बर, 2013 के पश्चात् निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन (दिनांक 10.01.2014) तक दावों या आपत्तियों से संबंधित कोई भी आवेदन (प्रपत्र 18, 19, 7 एवं 8) स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त विहित प्रपत्र निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं अभिहीत पदाधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त प्रपत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट ***http://ceobihar.nic.in*** तथा भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट ***http://eci.nic.in*** पर भी उपलब्ध हैं।

ह0/–
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।